



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249621
CG-DL-E-23102023-249621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945

No. 610]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2023

सा. का. नि.788(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियों को भरने की रीति, फीस और भत्ते एवं उनके कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियों को भरने की रीति, फीस और भत्ते तथा उनके कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियों को भरने की रीति, फीस और भत्ते तथा उनके कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1) में खंड (क), के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन पांच क्षेत्रों से पांच राज्यों के प्रत्येक ऊर्जा या विद्युत विभाग से प्रत्येक में से एक अधिकारी जो राज्य सरकार के प्रधान सचिव पंक्ति के नीचे का न हो, सदस्य के रूप में होगा।"

(ii) उपनियम 2 का लोप किया जाएगा।

(iii) उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित रीति से नियुक्ति करेगी, अर्थात्: -

(क) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयो के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या क्षमता रखने वाले एक या दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में उद्योग का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;

(ख) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयो के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या क्षमता रखने वाले एक या दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में उपस्कर और उपकरण विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;

(ग) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयो के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या क्षमता रखने वाले एक या दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में वास्तुकारों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;

(घ) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयो के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या क्षमता रखने वाले एक या दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;

(ङ.) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयो के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या क्षमता रखने वाले एक या दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;"

(iv) उपनियम 4 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारी उद्योग, वाणिज्य और उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उर्वरक जैसे प्रमुख ऊर्जा उपयोगकर्ता।"

[फा.सं. 13/13/2021-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 537(अ), तारीख 6 अगस्त 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2023

G.S.R. 788(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 read with sub-section (5) of section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, hereby makes the following amendments in the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Members, Manner of Filling Vacancies, Fees and Allowances and Procedure For Discharging Their Functions) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the principal rules), namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Members, Manner of Filling Vacancies, Fees and Allowances and Procedure For Discharging Their Functions) (Amendment), Rules 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Members, Manner of Filling Vacancies, Fees and Allowances and Procedure For Discharging Their Functions) Rules, 2007, in rule 3,-

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) one official each from the energy or power department of five States from the five regions, not below the rank of Principal Secretary to the State Government as member under clause (o) of sub-section (2) of section 4 of the Act.”;

(ii) the sub-rule (2) shall be omitted;

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

“(3) For the purpose of clause (b) of sub-rule (1), the Central Government shall appoints in the following manner, namely:-

(a) One or two person having adequate knowledge, experience or capability in dealing with matters relating to promotion of energy efficiency or energy conservation, who in the opinion of the Central Government is capable of representing industry;

(b) One or two person having adequate knowledge, experience or capability in dealing with matters relating to promotion of energy efficiency or energy conservation, who in the opinion of the Central Government is capable of representing equipment and appliance manufacturers;

(c) One or two person having adequate knowledge, experience or capability in dealing with matters relating to promotion of energy efficiency or energy conservation, who in the opinion of the Central Government is capable of representing architects;

(d) One or two person having adequate knowledge, experience or capability in dealing with matters relating to promotion of energy efficiency or energy conservation, who in the opinion of the Central Government is capable of representing institutes;

(e) One or two person having adequate knowledge, experience or capability in dealing with matters relating to promotion of energy efficiency or energy conservation, who in the opinion of the Central Government is capable of representing consumers;”.

(iv) In sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Major energy users like Micro, Small and Medium Enterprises, Heavy Industries, Commerce and Industry, Science and Technology and Fertilizers”.

[F.No. 13/13/2021-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note: The principal rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 537(E), dated the 6th August 2007.